



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE

पंचदीप भवन, हाउसिंग बोर्ड फेज-1, साई रोड,

बददी, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205

PANCHDEEP BHAWAN, HOUSING BOARD PHASE I,

SAI ROAD, BADDI, SOLAN, HIMACHAL PRADESH-173205

Phone No.- 01795-245961, Email- rd-hp@esic.gov.in

Website:- www.esic.gov.in / www.rohp.esic.gov.in

दिनांक : 21-06-2024

नोटिस

सक्षम प्राधिकारी ने जूनियर रेडियोग्राफर के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्नलिखित उम्मीदवार के चयन की मंजूरी प्रदान की है:-

क्रमांक संख्या	रोल नंबर	पंजीकरण संख्या	उम्मीदवार का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	दस्तावेज सत्यापन की दिनांक	रिपोर्टिंग टाइम
1	1671000039	258070894	SHIVANI BADHAN	SC	03.10.1998	01.07.2024	10:00 AM

दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान	सम्मेलन कक्ष, तृतीय तल, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड फेज-1, साई रोड बददी जिला सोलन हि.प्र., पिन-173205
---------------------------------------	---

चयनित उम्मीदवारों को पद के लिए उनकी पात्रता के संदर्भ में सत्यापन के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ स्व-सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- जन्म तिथि के प्रमाण के संदर्भ में मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र।
- पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता / तकनीकी योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी श्रेणी प्रमाण पत्र। निर्धारित प्रोफार्मा विस्तृत विज्ञापन के अनुलग्नक-ए से अनुलग्नक-जी में संलग्न हैं तथा इस नोटिस में भी संलग्न हैं।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / पीडब्ल्यूडी / भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे विस्तृत विज्ञापन में निर्धारित पात्रता और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण / आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसा कि अनुलग्नक - "ए" में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-EsttI (SCT) दिनांक 15.11.93 के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ स्व-घोषणा बाद के चरण में दी जानी अपेक्षित है, जैसा कि अनुलग्नक "बी" में दिया गया है। जिसमें विफल होने पर आरक्षण या आयु में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक - "सी" में दिए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत छूट / आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक - "डी" में दिए गए घोषणापत्र का फॉर्म जमा करना होगा।
8. आयु में छूट का दावा करने वाले क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों/सरकारी सेवकों को 'ई' में संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने कार्यालय से निरंतर सेवा की अवधि के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्ववर्ती अवधि में तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उनके चयन के दौरान तथा नियुक्ति के समय तक उनके पास क.रा.बी.निगम कर्मचारी / सरकारी कर्मचारी की स्थिति बनी रहनी चाहिए।
9. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अंतर्गत समूह 'सी' और 'डी' पदों पर सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं। सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए, उसे पद/सेवा के लिए अपना आवेदन जमा करने के प्रासंगिक समय पर, स्थिति पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए या भूतपूर्व सैनिक हेतु अपनी पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता स्थापित करने की स्थिति में है कि वह अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों के साथ कार्य की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करेगा या अन्यथा कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के कारण। । सेवारत रक्षा कर्मिकों को अनुलग्नक 'एफ' में संलग्न प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. दृष्टिहीनता, चलन अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी के अलावा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार, जिन्होंने जूनियर रेडियोग्राफर के पद की परीक्षा में सफाई की सेवाएं ली हैं, उन्हें विस्तृत विज्ञापन के अनुलग्नक- 'जी' में संलग्न और इस सूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में लिखने के लिए भौतिक सीमा से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. दो पासपोर्ट आकार की फोटो, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो से मेल खाती हो।
12. फोटो युक्त पहचान प्रमाण (मूल के साथ स्व-सत्यापित प्रतिलिपि) - उम्मीदवार को कम से कम एक वैध, फोटो युक्त पहचान प्रमाण मूल रूप से और उसी की एक फोटोकॉपी लाने की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान में मान्य हो।

नोट: वर्तमान में वैध फोटो पहचान प्रमाण- पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/आधिकारिक लैटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो के साथ जारी फोटो पहचान प्रमाण/आधिकारिक तौर पर जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के साथ फोटोग्राफ के साथ लैटरहेड / मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध हालिया पहचान पत्र/आधार कार्ड/फोटोग्राफ युक्त ई-आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त बार काउंसिल पहचान पत्र हो सकता है। ।

महत्वपूर्ण: राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस को वैध आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :-

1. दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुलाना उम्मीदवार को संबंधित पद पर उसकी नियुक्ति के लिए

- कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अंतरिम है।
2. यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार प्रॉवसी के माध्यम से उपस्थित हुआ है या कदाचार में शामिल है, तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 3. उम्मीदवार को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और इसके लिए कोई टीए / डीए स्वीकार्य नहीं है।
 4. अंतरिम रूप से योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्देश और अनुसूची उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजी गई है।
 5. यद्यपि, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अंतरिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है, लेकिन अनजाने में हुई मानवीय त्रुटियों को नकारा नहीं जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय बही, हिमाचल प्रदेश के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि कोई विसंगति उसके ध्यान में आती है तो वह चुने गए उम्मीदवारों की सूची को संशोधित कर सकता है।

(करनपाल सिंह)
(उप निदेशक)